न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 202/2025

जीसीएमएस नम्बर : 2025/326

प्रार्थी:–	**बनाम**	**अप्रार्थीगण:–**
1. ओमप्रकाश पुत्र कुनाराम जाति खटीक 2. जगदीश पुत्र कुनाराम जाति ख़टीक 3. शंकरलाल पुत्र बाबुलाल जाति ख़टीक 4. सुरजकरण पुत्र स्वं. बालूराम जाति खटीक 5. विनोद पुत्र सुरजकरण जाति खटीक निवासीगण नगीना मस्जिद के पास, सोजत रोड़ तहसील सोजत जिला पाली		1. मृत पानी के कायम मुकाम 1/1 पेमाराम सामरिया पुत्र मूलाराम सामरिया, जाति खटीक निवासी गली नम्बर 1, अन्नासागर नगर, पुंजला मंडोर, के यू एम मण्डोर रोड़ जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर (राज.) 1/2 अमरलाल पुत्र मूलाराम सामरिया, जाति खटीक निवासी महालक्ष्मी नगर, नेहरू पार्क के सामने, सोजत मार्ग, सोजतरोड़ तहसील सोजत जिला पाली 2. ग्राम पंचायत सोजतरोड़ जो नगर पालिका, सोजत रोड़ में मर्ज हो गई जरिये अधिशाषी अधिकारी,

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाणा।
2. अप्रार्थी संख्या 1/1, 1/2 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी।

–: निर्णय :–

दिनांक : 30/04/2026

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत सोजत रोड़ द्वारा मिसल संख्या 231/1982–83, संकल्प संख्या 01 दिनांक 25.11.1983 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 133 दिनांक 17.01.1984 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 वक्त बहस अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 का पैतृक पुश्तैनी भूखण्ड मौजा सोजतरोड़ की आबादी भूमि में नगीना मस्जिद के पास मिरासी मोहल्ला में स्थित है। उक्त भूखण्ड उभयपक्ष के पूर्वज बालूराम का पुश्तैनी कब्जासुदा थी एवं बालूराम के फौत हो जाने के पश्चात् उनके सभी वारिसानों का विधिक रूप से कब्जा एवं उपयोग–उपभोग

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

रहा। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया। अप्रार्थी ने उक्त पुश्तैनी भूखण्ड का फर्जी कूटरचित लिखत बैचाण दिनांक 03.10.1976 को तैयार करवाकर पंजीबद्ध करवाया और उसके आधार पर प्रश्नगत पट्टा जारी करवा दिया। उक्त बेचाण में अंकितानुसार प्रश्नगत भूखण्ड का पूर्व में पट्टा बना हुआ है उसके उपरान्त भी ग्राम पंचायत ने जैर आराजी का प्रश्नगत पट्टा जारी कर दिया। अप्रार्थी द्वारा जिस कालूराम नाम के व्यक्ति से भूमि खरीदने का कथन किया है वह व्यक्ति ग्राम का निवासी भी नहीं है। प्रश्नगत पट्टे की मिसल ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। जैर निगरानी पट्टा संख्या 133 की दो प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है ओर अप्रार्थी जिस प्रति का समर्थन कर रहे है वह प्रति ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकर्ड से भिन्न है। पट्टा जिस प्रस्ताव की पालना में जारी किया गया है उस प्रस्ताव पर सरपंच के हस्ताक्षर एवं पट्टे पर सरपंच के हस्ताक्षर में विरोधाभास है। जैर निगरानी आराजी मेरी पुश्तैनी सम्पति है इसलिये प्रार्थी प्रश्नगत भूमि में हितबद्ध पक्षकार है। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों की अवहेलना करते हुये बिना मिसल कायम किये, बिना किसी प्रस्ताव के विधि विरूद्ध तरीके से प्रश्नगत पट्टा जारी किया है, जिसे निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी भूखण्ड अप्रार्थी का खरीदसुदा है, जिसका पूर्व में स्टेट समय का पट्टा बना हुआ था। उक्त पुराना पट्टा फट गया था, जिसे ग्राम पंचायत में सरेण्डर कर जैर निगरानी पट्टा जारी करवाया गया। प्रार्थी के कथनानुसार उक्त भूखण्ड उनके पूर्वज बालूराम का पुश्तैनी है परन्तु उनके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये, साथ ही प्रार्थी जैर आराजी पर किस तरह प्रभावित है, यह स्पष्ट नहीं है। ग्राम पंचायत ने नियमानुसार मिसल दर्ज कर नियमानुसार पट्टा जारी किया। ग्राम पंचायत द्वारा क्रमानुसार पट्टा जारी किया है और उस पट्टे की कॉपी अप्रार्थी को दी, वही कॉपी पेश की गई। वर्तमान में यदि ग्राम पंचायत में प्रश्नगत पट्टे से सम्बन्धित मिसल उपलब्ध नहीं है तो उसके लिये अप्रार्थी दोषी नहीं है। प्रार्थी का पृथक से मकान बना हुआ है, जिस पर वह निवासरत है। अप्रार्थी ने विधिनुसार ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पेश किया, जिस पर ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुये विधिसम्मत तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया हैं। प्रार्थी प्रश्नगत भूखण्ड को हड़प करने की नियत से बिना विधिक आधारों के जैर निगरानी याचिका पेश की है, जिसे निरस्त फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी याचिका ग्राम पंचायत सोजत रोड़ द्वारा मिसल संख्या 231/1982–83, संकल्प संख्या 01 दिनांक 25.11.1983 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 133 दिनांक 17.01.1984 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता अप्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि जैर निगरानी भूखण्ड अप्रार्थी का खरीदसुदा है इसलिये प्रार्थी हस्तगत प्रकरण में प्रभावित पक्षकार नहीं है। अधिवक्ता प्रार्थी ने विपक्षी अधिवक्ता के कथनों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि जैर निगरानी भूखण्ड उभयपक्ष का पुश्तैनी है, जिस कारण प्रार्थी हितबद्ध पक्षकार है। साथ ही न्यायालय हाजा धारा 97 के तहत सुओ मोटो भी जांच कर सकते है। प्रकरण में

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

अभिलेखों के अवलोकन एवं उभयपक्ष के तर्कों का सम्यक् विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 03.10.1979 के द्वारा पानी बाई ने प्रश्नगत भूखण्ड कालूराम से खरीद किया था। विवादित जैर निगरानी भूखण्ड के सम्बन्ध में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 03.10.1979 वर्तमान में प्रभावी है क्योंकि उक्त विक्रय विलेख को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया हो ऐसे कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा इस विक्रय विलेख को फर्जी बताया गया है तथापि इस सम्बन्ध में कोई ठोस एवं प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए। जहां तक प्रार्थी के हितबद्ध/प्रभावित पक्षकार होने का प्रश्न है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के प्रावधांनों का अवलोकन करने से यह परिलक्षित होता है कि उक्त धारा के अन्तर्गत हितबद्ध व्यक्ति की परिभाषा व्यापक है, जिसमें केवल प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति ही नहीं बल्कि ऐसा कोई भी व्यक्ति सम्मिलित है जिसके अधिकारों या हितों पर पंचायत के निर्णय का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इसके अतिरिक्त पंचायत क्षेत्र का का कोई भी निवासी जो यह मानता हो कि पंचायत ने कानून का उल्लंघन करके कोई आदेश पारित किया है, वह हितबद्ध व्यक्ति के रूप में आवेदन कर सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त उमा सोनी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में यह प्रतिपादित किया कि धारा 97 के अन्तर्गत आवेदन करने हेतु आवेदक का आदेश से प्रत्यक्ष रूप से व्यथित होना आवश्यक नहीं है। अतः इस परिप्रेक्ष्य में, यद्यपि प्रार्थी द्वारा अपने पुश्तैनी स्वामित्व के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं तथापि उसे पूर्णतः अपात्र नहीं ठहराया जा सकता; क्योंकि धारा 97 के अन्तर्गत उसे एक हितबद्ध व्यक्ति के रूप में आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त धारा 97 के अन्तर्गत इस न्यायालय को ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेशों तथा उनके अनुपालन में जारी पट्टों की विधिकता, औचित्य एवं नियमितता की जांच करने का पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा आवश्यक होने पर न्यायालय स्वयं संज्ञान लेकर भी परीक्षण कर सकता है। चूंकि पट्टा ग्राम पंचायत की आज्ञा की अनुवर्ती कार्यवाही है, अतः उसकी वैधता का परीक्षण इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौराने बहस यह मुख्य उज्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम पंचायत ने पूर्व में जारी पट्टे के होते हुए पुनः प्रश्नगत पट्टा जारी कर दिया, जो कि विधिसम्मत नहीं है। इसके विपरीत अधिवक्ता अप्रार्थी ने यह कथन किया कि विवादित भूखण्ड अप्रार्थी का खरीदसुदा है तथा उक्त भूमि पर राज्यकाल (स्टेट समय) में पूर्व में ही पट्टा जारी किया जा चुका था किन्तु उसके नष्ट/फट जाने के कारण ग्राम पंचायत से जैर निगरानी पट्टा जारी करवाया गया। इस सम्बन्ध में अभिलेख पर उपलब्ध दस्तोवजों का अवलोकन करने पर यह तथ्य परिलक्षित होता है कि बेचाण दिनांक 30.10.1979 में स्पष्ट रूप से यह अंकित है कि प्रश्नगत भूखण्ड कब्जासुद एवं पट्टासुद है, जिसका क्षेत्रफल 330 वर्गफुट है। साथ ही पत्रावली में राज्यकाल से जारी मूल पट्टे की प्रति भी उपलब्ध है, जो इस तथ्य की पुष्टि करती है कि उक्त भूमि पर पूर्व में पट्टा अस्तित्व में था। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा स्वयं भी यह स्वीकार किया गया है कि प्रश्नगत भूमि का पूर्व में पट्टा जारी किया जा चुका है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी स्वीकृत तथ्य को पुनः प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। अतः पूर्व में पट्टा जारी होने का तथ्य निर्विवाद रूप से स्थापित माना जाता है। इस

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त RLW 2003(3) Raj. 1891 Madan lal vs Legal Representatives of Late Ram Prasad के अनुसार Evidence Act, 1872, Sec. 58-Facts admitted need not be proved-When there is a very specific and categorical admission of fact of the parties then that admission can be used against the party making the admission. इस प्रकरण यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्राम पंचायत ने पूर्व में स्टेट समय से जारी पट्टे सुदा भूखण्ड पर पुनः जैर निगरानी निर्गत किया है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त राजस्थान राज्य बनाम लक्ष्मणसिंह (2018) में यह स्पष्ट किया कि एक भूमि पर दो पट्टे जारी करना अधिकारों का दुरूपयोग है। इसी तरह न्यायिक दृष्टान्त सीताराम बनाम राजस्थान सरकार (2019) में माननीय न्यायालय ने अंकित किया कि भूमि पट्टों में द्वैत अधिकार नहीं बन सकते, यदि ऐसा होता है तो बाद में जारी पट्टे को अवैध माना जाएगा तथा मधु सुकन्या बनाम ग्राम पंचायत (2019) में माननीय न्यायालय ने यह कहा कि पट्टों की स्थिति में प्राथमिक पट्टा वैध माना जाएगा और दूसरा पट्टा रद्द किया जाएगा अर्थात भूमि के पट्टों का दोहरीकरण न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह सार्वजनिक हितों के खिलाफ भी है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 1998 DNJ 560 अनुसार – पंचायत ने प्रार्थी को 1963 में आबादी क्षेत्र में एक भूखण्ड आंवटित किया – पंचायत ने अप्रार्थी सं. 5 को भूखण्ड विक्रय किया और विक्रय की पुष्टि की – विधि अनुसार प्रार्थी का पट्टा निरस्त नहीं किया – पंचायत ने पट्टा निरस्त करने की अधिकारिता न होने से आधार पर आवंटन बहाल रखा – जब तक निरस्त न किया जाये आवंटन प्रभाव में रहता है – अप्रार्थी संख्या 5 के पश्चातवर्ती विक्रय बिना अधिकारिता के हैं, याचिका निरस्तारित की। इसी प्रकार AIR 1998 Raj Page 282 श्रीमती सरोज बनाम ग्राम पंचायत ब अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते उसी भूमि पर दुसरा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता हैं।"

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आदेश एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 266 के अन्तर्गत जारी किया गया है तथापि अभिलेखों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के सम्यक् अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि उक्त पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया नियम 255 से 268 में विहित अनिवार्य प्रावधानों की पूर्ण एवं विधिसम्मत अनुपालना के अनुरूप प्रतीत नहीं होती है। अभिलेख अनुसार, विवादित जैर निगरानी पट्टा मिसल संख्या 231/1982–83, दायर दिनांक 09.03.1983, प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 25.11.1983 के आधार पर दिनांक 17.01.1984 को जारी किया गया है। किन्तु ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही रजिस्टर के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 25.11.1983 से पूर्व की किसी भी बैठक में उक्त मिसल संख्या का कोई उल्लेख नहीं पाया जाता जबकि अन्य प्रकरणों से सम्बन्धित मिसल संख्या का नियमित रूप से अंकन किया गया है। इसी प्रकार दिनांक 25.11.1983 की बैठक के प्रस्ताव संख्या 1 में भी प्रार्थी का नाम पानी बाई अंकित होने के बावजूद मिसल संख्या का कॉलम रिक्त छोड़ा गया है, जबकि अन्य व्यक्तियों के मामलों में मिसल संख्या का स्पष्ट अंकन किया गया है। यह तथ्य प्रक्रियागत अनियमितता की ओर संकेत करता है। इसके अतिरिक्त, सम्पूर्ण

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

बैठक कार्यवाही रजिस्टर का अवलोकन करने पर यह भी पाया गया कि न तो पूर्ववर्ती बैठकों (दिनांक 18.04.1983 से दिनांक 20.11.1983) में और न ही किसी अन्य स्थान पर मिसल संख्या 231/1982–83 का कोई उल्लेख उपलब्ध है, और न ही उक्त पट्टा धारक अथवा सम्बन्धित प्रकरण का कोई विवरण दर्ज है। इससे यह प्रतीत होता है कि सम्बन्धित जैर निगरानी पट्टा जारी किए जाने से पूर्व विधि अनुसार आवश्यक मिसल संधारण की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, जो Ab Initio Void है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 1995 DNJ 458 Dhanraj and Anr. vs Additional Collector, Ganganagar & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायत और न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961–नियम 255 से 265–आबादी भूमि के विक्रय हेतु विस्तार से प्रक्रिया प्रकट की है–प्रस्तुत मामले में यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई–भूमि क्रय करने हेतु आमंत्रण नहीं मांगे गए, कोई सूचना प्रकाशित नहीं हुई–कोई आपत्तियां भी नहीं मांगी गई और न सार्वजनिक निलाम ही हुआ–अभिनिर्धारित, यह तो स्पष्ट रूप से नियमों का ही अतिक्रमण न होकर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का भी अतिक्रमण है–विक्रय को अभिखण्डित किया गया। इसी प्रकार 1996 DNJ (Raj.) 413 Mahaveer Prasad vs State of Rajasthan & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायत (साधारण) नियम, 1961–नियम 256 व 260–पंचायत द्वारा भूमि का विक्रय–प्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी–अपर कलेक्टर ने पट्टा और विक्रय की सारी कार्यवाही को रद्द कर दी–पंचायत का प्रस्ताव रजिस्टर में नहीं लिखा है–भूमि के विक्रय हेतु कोई लोक सूचना जारी नहीं हुई–अभिनिर्धारित, रिट याचिका गुणागुणहीन होने से खारिज की जाती है।

हस्तगत प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी का अन्य तर्क यह है कि जिस प्रस्ताव के आधार पर पट्टा जारी किया गया, वह प्रस्ताव ही रजिस्टर में समुचित रूप से समर्थित नहीं है, क्योंकि उसमें मिसल संख्या का उल्लेख ही अनुपस्थित है, जो नियमों के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखीय शर्त है। इसके विपरीत विपक्षी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि ग्राम पंचायत ने नियमों के अनुसार पट्टा जारी किया है तथापित अभिलेखीय स्थिति इस तर्क की पुष्टि नहीं करती। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 2 से प्राप्त पत्र दिनांक 06.03.2026 के अनुसार भी यह तथ्य सामने आया है कि मिसल संख्या 231/1982–83 रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त समस्त परिस्थितियों के समग्र मूल्यांकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय पंचायती राज नियमों के तहत आवश्यक विधिक प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया, जो कि उसकी वैधानिकता पर गम्भीर प्रश्नचिन्ह अंकित करता है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) RLW(RJ) 1091 Dhrampal Singh vs Additional District Collector के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Rules, 1996, Rule 157 read with Rule 146 - Allotment bade by Village Panchayat-Not following the requirements of Rule 157-Additional Collector cancelled the allotment-Held-The village Panchayat had failed to follow the procedure prescribed for allotment or take into consideration the preconditions for invoking Rule 157 of the 1996 Rules. Petition dismissed. इसी प्रकार 2009 0 WLC 759 Babu singh vs State of Rajasthan & Others. के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Act, 1994-S.97-The patta issuing order of the collector has been

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

quashed as the order has been made in violation of the rules-The collector has exercised his power superficially in this mater which is not acceptable-Resolution for issuing the Patta has been set aside. इसी प्रकार RRT 2003(1) page 174 के अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 नियम 142 से 157–पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 63 व 97–आपसी बातचीत से आबादी भूमि विक्रय की–जब तक नियम 156 में दी गई शर्तों की पालना न हो तब तक भूमि विक्रय नहीं की जा सकती और न पट्टा जारी किया जा सकता–प्रार्थी पिछले 15 वर्षों से भूमि के अधिपत्य में है इस आधार पर भी भूमि आपसी बातचीत से विक्रय नहीं की जा सकती–नियम 142 से 157 के प्रावधानों की पालना नहीं–अपर कलेक्टर ने विक्रय को अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर हूबहू चस्पा होता है। इसके अतिरिक्त प्रकरण यह उल्लेखनीय तथ्य परिलक्षित होता है कि जैर निगरानी पट्टा संख्या 133 की दो पृथक–पृथक प्रतियाँ अभिलेख पर उपलब्ध है, जो अपास में परस्पर विरोधाभासी है। उक्त दोनों प्रतियों के तुलनात्मक परीक्षण से यह तथ्य सामने आता है कि एक प्रति में मिसल संख्या, दायर दिनांक तथा प्रस्ताव संख्या एवं उसकी तिथि का विधिवत अंकन किया गया है, जबकि दूसरी प्रति में उक्त आवश्यक विवरणों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है, जो दस्तावेज की प्रमाणिकता एवं विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त दोनों प्रतियों में पट्टा जारी होने की तिथि भी एकरूप में नही है, एक प्रति में पट्टा दिनांक 17.01.1984 को जारी होना अंकित है, जबकि दूसरी प्रति में इसे दिनांक 06.02.1984 को जारी किया जाना दर्शाया गया है। इस प्रकार एक ही पट्टा के सम्बन्ध में दो भिन्न–भिन्न तिथियों का अंकन होना अभिलेखीय असंगति एवं प्रक्रियात्मक अनियमितता को इंगित करता है। इसी प्रकार दोनों प्रतियों पर अंकित सरपंच के हस्ताक्षर भी एक समान नहीं गये बल्कि उनमें स्पष्ट भिन्नता एवं असंगित दृष्टिगोचर होती है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगंत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत सोजत रोड़ द्वारा मिसल संख्या 231/1982–83, संकल्प संख्या 01 दिनांक 25.11.1983 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 133 दिनांक 17.01.1984 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/04/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)